संख्या-20/2017/159/दो-2-2017-28/2(9)/2017

प्रेषक,

रघुनाथ् सिंह परिहार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2017**

विषय:- श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0-1992 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियॉं संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री भगवान सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त् ।

भवदीय,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

[redacted] प्रतिलिपि श्री भगवान सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-डी-1/79, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, [redacted] को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2017/186/दो-2-2017-28/2(9)/2017

प्रेषक,

रघुनाथ सिंह परिहार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ:** **दिनांक: 17 फरवरी, 2017**

विषय:- श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0-1992को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री भगवान सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-डी-1/79, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-20/2017/185/दो-2-2017-28/2(9)/2017</u>

प्रेषक,

रघुनाथ सिंह परिहार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2017

विषय:- श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0-1992 के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-01-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि श्री भगवान सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-डी-1/79, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-20/2017/184 /दो-2-2017-28/2(9)/2017
लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2017

आदेश

श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0-1992 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-64856 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-24/मिलान डायरी-183/36052/749/42214 दिनांक 02-09-2016, जिसमें वर्ष 2014-2015 तक कुल जमा धनराशि रू0-11,88,072/- (रू0-ग्यारह लाख अटठासी हजार बहत्तर मात्र) के 90 प्रतिशत धनराशि रू0-10,69,265/- (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार दो सौ पैसठ मात्र), के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री भगवान सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- उप श्रमायुक्त, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री भगवान सिंह, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर।
4- श्री भगवान सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-डी-1/79, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रमा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in